वन विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर

माचिया जैविक उद्यान, कायलाना रोड़, जोधपुर–342008

क्रमांकः एफ ( ) कार्मिक / उ.व.सं.व.जी.जो / 2023–24 / 3901 **दिनांकः–** 31/8/2023

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.12(वन) 2018 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 04.10.2022 एव दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशो के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश एफ.6( )2022 / कार्मिक–विविध / प्र.मु.व.स. / 1059–75 दिनांक 26.04.2023 की अनुपालना में इस मण्डल कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जोधपुर के लिये स्वीकृत 3 नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक / पशु चिकित्सा सहायक) के नवसृजित रिक्त पदो पर आवश्यक अस्थायी आधार पर (Urgent Temporary Basis) पर 03 पशुधन सहायकों की नियत पारिश्रमिक पर राशि रूपये 17700 / – प्रतिमाह की दर से तीन माह के लिए नियुक्तियों हेतु चयन बाबत् जिला स्तर पर श्रीमान् जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंषा अनुसार निम्नांकित प्रत्याशियो को पशुधन सहायक के रिक्त पदों के विरूध समेकित पारिश्रमिक के आधार पर राशि रूपये 17700 / – (अक्षरे रूपये सतरह हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से तीन माह तक के लिए पशुधन सहायक का कार्य करने हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाता है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	संदीप कस्वां	सतवीर कस्वां	10.02.2002	वनमण्डल वन्यजीव जोधपुर
2	श्याम सुन्दर	रामस्वरूप	18.08.1999	वनमण्डल वन्यजीव जोधपुर
3	योगेन्द्र सिंह कश्यप	राजेश कुमार	17.10.2001	वनमण्डल वन्यजीव जोधपुर

समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अलावा) तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी तथा इनके समेकित पारिश्रमिक मे से जी.पी.एफ / सी.पी.एफ., राज्य बीमा आदि की कटौती नहीं की जायेगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।

यह आदेश इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3417 दिनांक 07.08.2023 द्वारा जारी चयन सूची के अनुसरण में जारी किये गये है। अभ्यर्थी का जिस जिले में चयन किया गया है उस जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, अभ्यर्थी राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के हकदार नहीं रहेगा।

चयनीत अभ्यर्थी उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर में जोईनिंग के समय प्रार्थी द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र 04.10.2013 के अनुसरण में [illegible] नहीं

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.31 16:26:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4622531

करने का वचन बद्धता (Undertaking), कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2013 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र तथा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शर्तो के संबंध में राशि रू. 100 के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प एवं नॉटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें।

चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक की 05 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन वनमण्डल वन्यजीव जोधपुर पर उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी अन्यथा उसका यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अन्य जानकारी में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(संदीप कुमार छलाणी)
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जोधपुर

क्रमांकः सम/ 3902-12
दिनांक : 31/8/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, पशुपालन विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर प्रथम, जोधपुर।
6. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर।
7. कोषाधिकारी, शहर जोधपुर।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री...
9. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.31 16:26:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4622531